

अमर उजाला

सरकारी शराब की दुकान से 1123 शीशी नकली शराब बरामद

गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 08 Jan 2019 11:51 PM IST

Home › Uttar Pradesh › Sant Kabir Nagar › सरकारी शराब की दुकान से 1123 शीशी नकली शराब बरामद

शराब की दुकान से 1123 शीशी नकली शराब बरामद

फोटो

439 ब्रांडेड शराब के ढक्कन, 2510 रुपये नकद और दो व्यक्ति पकड़े गए

अमर उजाला ब्यूरो

संतकबीरनगर। आबकारी विभाग और मेंहदावल पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर एक लाइसेंसी शराब की दुकान से 1123 शीशी नकली शराब बरामद किया। मौके से 439 ब्रांडेड शराब के ढक्कन व 2510 रुपये नकद मिले। दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

एसपी आकाश तोमर ने बताया कि सोमवार सुबह आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह व एसओ मेंहदावल प्रदीप कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने करमैनी घाट स्थित देशी शराब के लाइसेंसी दिनेश कुमार सिंह के दुकान पर दबिश दी। जहां 763 शीशी बंटी-बबली ब्रांड व 360 शीशी लैला ब्रांड की कूट रचित रैपर वाली नकली शराब, 244 रायल स्टेज, 195 रेडिको ब्रांड के कूट रचित ढक्कन व 2510 रुपये नकद मिले। दिनेश वर्मा निवासी रगौली थाना कैंपियरगंज गोरखपुर व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके पर दुकान का मालिक मौजूद नहीं था। पूछताछ में दुकान पर मौजूद कर्मचारी ने बताया है कि नकली शराब 1200 रुपये में बाहर से लाकर दिनेश वर्मा उन्हें बेचता है, जिसका सरकारी रेट 2025 प्रति पेटी है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त व शराब की दुकान के लाइसेंसी पर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

Source: https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/sant-kabir-nagar/crime/191546971708-sant-kabir-nagar-news?src=fb_share